

SCMS  
2020/00044  
08/02/21

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. जेसाराम

हलका भूका वगतीसिह

पुत्र श्री. तिलाराम जाति. कुहर

निवासी- भूका वगतीसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 41/वर्ष 2020

11-1-2021

18-1-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वगतीसिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2022 में मौजा भूका वगतीसिह के खसरा नंबर 27/2 रकबा 2000 वर्ग फीट किस्म भूमि जंगल भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1-1-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली भाण्ड पेश हुई गैर सायल उपस्थित। पीपलीन अधिकारी बाणकीप कार्य हेतु जैसपुर पंचारे है। पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	जेसाराम
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु सायल चाहा जो दिनांक 27-01-2021 को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	जेसाराम

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। और सापल अनुपालित।  
और सापल को जवाब हेतु भवत र दिया  
जाकर पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पिछलीक माहिकारी भाग ड्युरी  
पर सिवाना पचार हे पत्रावली दिनांक 17-2-2021  
को पेश हो।  
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। और सापल अनुपालित। और सापल  
को जवाब हेतु भवत र दिया जाकर पत्रावली  
दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। और सापल अनुपालित। और  
सापल को जवाब हेतु बार-बार भवत र दित्रे जाने  
के उपरान्त भी कोई विधि संमत साक्ष्य प्रस्तुत  
नही किये। और सापल को माहिकारी मानते  
हुए पत्रावली फौजल सुधार हो। निर्धारित मलय  
से लिखे जाकर शान्ति पत्रावली हो। पत्रावली  
फौजल सुधार होकर दारिद्र्य डफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर